

दत्तक ग्रहण जागरूकता माह

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिये नवंबर माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाता है।

- **परिचय:** यह कशिशर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
 - यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिये नोडल निकाय है, जसि देश के अंदर और अंतरदेशीय स्तर पर गोद लेने की नगिरानी और वनियमन का दायतव सौंपा गया है।
 - भारत में अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण, अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993 का पालन करता है, जसि भारत सरकार ने वर्ष 2003 में अनुमोदति कयिा था।
- दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का वषिय "देखदेख और पालन-पोषण की भावना द्वारा बडे बच्चों का पुनर्वास" है।
- हेग कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो उन बच्चों की त्वरति वापसी को सुनशिचति करती है, जनिका "अपहरण" कर उनहें उस जगह पर रहने से वंचति कर दयिा गया है, जहाँ वे रहने के अभ्यस्त हैं।
 - जब बच्चा 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो यह अभसिमय लागू नहीं होता है।

और पढ़ें: [भारत में दत्तक ग्रहण](#)